WR

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/4981/2004/नागौर

1. सायरा बेवा स्व0 श्री सलेम खां (फौत–दि.11.6.2013)
   (तर्क जरिये आदेश दिनांक 10.12.2024)
2. लियाकत खां पुत्र श्री सलेम खां
3. अयूब खां पुत्र श्री सलेम खां
   जाति कायमखानी हाल लोसल
   निवासीगण मुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला नागौर ....अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्री अलम खां पुत्र करीम खां
2. हुसैन खां पुत्र फरीद खां
3. अनोप खां पुत्र फरीद खां
4. ताजू खां पुत्र फरीद खां
5. अमीन खां पुत्र फरीद खां
6. नजीर खां पुत्र करीम खां
7. नसीर खां पुत्र करीम खां
8. इनायत खां पुत्र करीम खां
9. हबीब खां पुत्र श्री कासम खां
10. सोनू पत्नी श्री कासम खां
    समस्त जाति कायमखानी
    निवासीगण मुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीडवाना जिला नागौर

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री सानुज कुलश्रेष्ठ, सदस्य

उपस्थित :

श्री सदाकत अली, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

दिनांक : 29/01/2026

निर्णय

1. अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 53/2003 बउनवानी सायरा बेवा स्व0 श्री सलेम खां बनाम अलीम खां व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा सहायक कलेक्टर, डीडवाना के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा खातेदारी, रेकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया, जो क्षेत्राधिकार के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना (नागौर) को स्थानान्तरित किया जाकर वाद संख्या 44/2000 के रूप में दर्ज किया गया। उक्त वाद में वाकै ग्राम मुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर की निम्नांकित आराजियत व उसके खातेदार पक्षकार थे –

विवरण आराजी

खसरा नम्बर	रकबा
441	00–10–00
456	62–12–00
457	06–00–00
कुल	75–02–00

3. अपील आधारों के अनुसार अपीलार्थीगण के पिता व पति स्व0 श्री सलेम खां को जरिये रजिस्टर्ड दत्तकनामा दिनांक 16.9.1960 को श्री अकबर खां ने कायमखानी परम्परानुसार गोद लिया था। श्री अकबर खां एवं इनके दत्तक पुत्र श्री सलेम खां के देहान्त उपरान्त श्री अकबर खां की उपर्युक्त आराजियत अपीलार्थीगण के नाम पर दर्ज की जानी चाहिये थी, किन्तु प्रत्यर्थीगण द्वारा राजस्व रेकॉर्ड में उक्त आराजियत को स्वयं के नाम इन्द्राजित करवा लिया गया। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने एवं प्रश्नगत आराजी उनके नाम इन्द्राजित करने हेतु न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया गया, जो न्यायालय के आदेश दिनांक 28.02.2003 से प्रत्यर्थीगण के पक्ष में निर्णीत व डिक्री कर दिया गया तथा उक्त आदेश के विरूद्ध विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत अपील भी जरिये आदेश दिनांक 20.8.2004 प्रत्यर्थीगण के पक्ष में निर्णीत व डिक्री कर दी गयी। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने कथन किया कि विवादित आराजियत के काबिज खातेदार उनके दादा श्री अकबर खां थे, जिनके कोई संतान नहीं होने से उनके द्वारा श्री सलेम खां को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 19.6.1960 से गोद लिया था। उक्त दोनों पक्षकारान के निधन उपरान्त प्रश्नगत आराजी उनके विधिक वारिसान अर्थात् अपीलार्थीगण के नाम इन्द्राजित की जानी चाहिये थी। जबकि प्रत्यर्थीगण द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत कर प्रश्नगत आराजियत स्वयं के नाम इन्द्राजित करवा ली गई।

अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा उक्त तथ्य का अविधिक रूप से विवेचन करते हुए अपीलार्थीगण का वाद निरस्त किये जाने में त्रुटि की गई है। कथन किया कि अधीनस्थ प्राधिकारियों ने मुस्लिम कानून के दृष्टिगत वाद का निर्णय किया है जबकि पक्षकारान कायमखानी समाज के व्यक्ति हैं जिनके पूर्वज राजपूत जाति के वंशज हैं। कायमखानी समाज में गोद लिये जाने का रिवाज है जबकि मुस्लिम धर्म में गोद लिये जाने का रिवाज नहीं है तथा कायमखानी समाज में दत्तक पुत्र को वारिस के रूप में समस्त अधिकार प्राप्त हैं। उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए निर्णय किये जाने में अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा त्रुटि की गई है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. 2025 (2) (राजस्व मण्डल) 1248 धनकौर बनाम करतार सिंह व आर.आर.टी. 2003 (2) (राजस्व मण्डल) 953 करतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य प्रस्तुत किये गये।

उपरोक्त तथ्यात्मक तर्कों के अतिरिक्त दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा एक सारभूत प्रश्न इस आशय का भी उठाया गया है कि वास्तव में विचारण न्यायालय ए.डी.एम. डीडवाना को इस प्रकरण में विचारण का अधिकार ही प्राप्त नहीं था क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एस.डी.एम. न्यायालय सक्षम न्यायालय होता है। अतः क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अधिकारिता के बिना पारित किया गया कोई भी निर्णय या डिक्री विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। इस तर्क के समर्थन में उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2003(2) पेज 953 करतार सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य तथा अपील डिक्री/टीए/1195/2005/गंगानगर धनकौर बनाम करतार सिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 24.6.2025 का हवाला दिया गया। उपरोक्त दोनों आधारों पर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

5. द्वितीय अपील में प्रत्यर्थीगण की ओर से किसी के भी उपस्थित नहीं होने पर प्रथम अपील में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक के तर्कों का अनुशीलन किया गया। प्रथम अपील में प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थीगण की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं तथा मुस्लिम समाज में गोद लिया जाना प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का तर्क स्वीकार्य नहीं है कि वे राजपूत समाज के वंशज हैं तथा प्रस्तुत गोदनामा विधिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य है। कथन किया कि स्व0 श्री सलेम खां एक पढ़ा–लिखा व्यक्ति था

जिसकी मृत्यु वर्ष 1994 में हुई थी तथा इस बाबत् वांछित कार्यवाही अपने जीवनकाल में ही कर सकता था। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उठाई गई प्रमुख विधिक आपत्ति विचारण न्यायालय की अधिकारिता बाबत् है। पत्रावली के अभिलेख को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि सुनवाई के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अधिकारिता नहीं होने का आक्षेप अपीलार्थी द्वारा अपनी द्वितीय अपील के प्रार्थना–पत्र में नहीं लिया गया है न ही ऐसा आक्षेप प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष लिया गया था। इस तथ्य के रहते हुए भी विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि द्वितीय अपील में जहां न्यायालय को तथ्यात्मक विवेचन के साथ मुख्य रूप से विधि के प्रश्नों पर विवेचन करना आवश्यक होता है, वहां दौराने बहस उठाये गये इस बिन्दु को यह न्यायालय विवेचना के स्तर पर सारभूत मानता है। विद्वान विचारण न्यायालय की अधिकारिता के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत राजस्व मण्डल की पूर्व नजीरों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों ही न्यायनिर्णयों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के शेड्यूल–III को आधार मानकर न्याय निष्कर्षण किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में और राजस्व वादों से सम्बन्धित प्रक्रिया में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान मानक रूप से लागू होते हैं, जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 208 महत्वपूर्ण है। धारा 208 के मुताबिक चतुर्थ अनुसूची में वर्णित अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता की कतिपय धाराओं के प्रावधान राजस्व न्यायालयों की प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होंगे, जिसमें धारा 9 सी.पी.सी. के प्रावधानों को राजस्व न्यायालयों के उद्देश्य से हटाया गया है। इसी क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची और धारा 217 राजस्व न्यायालयों की साधारण शक्तियों को वर्णित करती है। धारा 220 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम यह प्रावधित करती है कि तृतीय अनुसूची में वर्णित उपबंधों के अधीन धारा 217 के प्रावधानों के अनुसार वाद का निर्णय सक्षम निम्नतम श्रेणी के राजस्व न्यायालय द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार धारा 9 सी.पी.सी. में वर्णित विषयवस्तु की सुनवाई बाबत् क्षेत्राधिकारिता के परिप्रेक्ष्य में धारा 217, 220 एवं तृतीय अनुसूची राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक मानदण्डों की परिसीमा निर्धारित करती है। जहां विषयवस्तु की अधिकारिता के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारिता का अभाव हो, वहां न्यायालय द्वारा पारित निर्णय शून्यकरणीय न होकर शून्य होता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायनिर्णय हर्षद चिमनलाल मोदी बनाम डी. एल.एफ. यूनिवर्सल [(2005) 7 एस.सी.सी. 791] में न्यायालय की अधिकारिता को परिभाषित करते हुए यह कहा है कि –

> "The jurisdiction of a court may be classified into several categories. The important categories are (i) Territorial or loca jurisdiction; (ii) Pecuniary jurisdiction; and (iii) Jurisdiction over the subject matter. So far as territorial and pecuniary jurisdictions are concerned, objection to such jurisdiction has to be taken at the earliest possible opportunity and in any case at or before settlement of issues. The law is well settled on the point that if such objection is not taken at the earliest, it cannot be allowed to be taken at a subsequent stage. Jurisdiction as to subject matter, however, is totally distinct and stands on a different footing. Where a court has no jurisdiction over the subject matter of the suit by reason of any limitation imposed by statute, charter or commission, it cannot take up the cause or matter. An order passed by a court having no jurisdiction is nullity…"

अर्थात् स्पष्ट रूप से विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2003 धारा 217 सपठित धारा 220 एवं तृतीय अनुसूची में वर्णित विषयवस्तु बाबत् सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता के बिना पारित है, अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

7. इसी प्रकार यदि देखा जाये तो विद्वान राजस्व अपील अधिकारी द्वारा भी सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों (जैसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की तनकीवार विवेचना, आदेश 41 नियम 31 की पालना इत्यादि) के अनुरूप निर्णय पारित नहीं करते हुए, बिना विवाधक साक्ष्य की विवेचना किये, निर्णय पारित किया गया है, जो कि प्रक्रियागत न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अर्थात् न्याय ना केवल होना चाहिये बल्कि होते हुए दिखना चाहिये। इसके लिये विहित प्रक्रिया की पालना आवश्यक है, जो कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में नहीं की गई है।

8. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का न्याय निष्कर्षण न केवल प्रक्रियागत त्रुटियों से ग्रस्त है, बल्कि विधि की स्पष्ट उपधारणाओं को नजरअंदाज कर किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय Mohd. Yunus vs. Gurubux Singh [1995 Supp. (1) SCC 418] में यह प्रतिपादित किया गया है कि –

> "where there is a gross misappropriation of evidence which goes to the root of the matter or where the court has not considered certain documents in a proper perspective and the effect of those documents with regard to the rights of the parties, second appellate court can exercise its jurisdiction…."

अर्थात् द्वितीय अपीलीय न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों (ए.डी.एम. व राजस्व अपील प्राधिकारी) के समवर्ती निष्कर्षों में भी हस्तक्षेप करने की अधिकारिता रखता है।

9. उपरोक्त समग्र विवेचन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में पर्याप्त विधिक एवं तार्किक आधार मौजूद हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि सुनवाई की अधिकारिता सम्बन्धी आक्षेप प्रकरण के गुणावगुण पर हुई न्याय की निष्फलता की जड़ तक जाता है और द्वितीय अपील के स्तर पर भी इस न्यायालय को न्याय के उद्देश्य के रक्षणार्थ हस्तक्षेप करने की अधिकारिता प्रदान करता है। न्यायालय के इस मत को धनकौर बनाम करतार सिंह एवं करतार सिंह बनाम स्टेट (उपरोक्त वर्णित मण्डल के पूर्व निर्णय) में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों से भी आलम्बन प्राप्त होता है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.2.2003 तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.8.2004 विधिक त्रुटि एवं न्याय की निष्फलता के विकार से ग्रस्त है, अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

10. उपरोक्त समग्र विवेचन के अनुक्रम में अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.2.2003 तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.8.2004 विकारग्रस्त हैं, अतः निरस्त किये जाते हैं। साथ ही प्रकरण विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं एस.डी.एम. डीडवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे इस प्रकरण में उपरोक्त पर्यवेक्षण के आलोक में पत्रावली पर आये साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन कर, विधिक प्रावधानों की विवेचना कर पुनः निर्णय पारित करें। विद्वान विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा है कि वह अपना निर्णय इस आदेश प्राप्ति से यथासम्भव छः माह की अवधि में पारित करेंगे। तदानुसार आदेशित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सानुज कुलश्रेष्ठ)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष